UPKS010019992026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, कौशाम्बी।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–77/2026

शबनम बानों पत्नी नूर मोहम्मद, निवासिनी मोहम्मदपुर अनेठा, थाना–मो.पुर पइंसा, जनपद–कौशाम्बी।

. . . . . अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

. . . अभियोजन

02.07.2026

1. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **शबनम बानों** की ओर से मु.अ.सं.–91/2024 अंतर्गत धारा–115(2),352,351(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)va व 3(1)ध अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, थाना मो.पुर पइन्सा, जनपद कौशाम्बी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस तामील है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 02/10/2024 समय लगभग 8.30 बजे सुबह में लड़का अतुल कुमार पुत्र संजय कुमार, जो दुकान समान लेने गया था। हमारे मोहल्ले के ही नूर मोहम्मद उर्फ भवनी पुत्र स्व० फकीरें व उसकी पत्नी शबनम ने मेरे नाबालिक बेटे जिसकी उम्र 13 वर्ष है, बिना किसी किसी कारण एकराय हो कर पति व पत्नी मारने पीटने लगे, जिससे उसके चेहरे व सिर पर गम्भीर चोटे आई और घर की महिलाओं को चाकू लेकर पेट में भोकने की कोशिश किया और वृद्ध माता को भी मारे पीटे है तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया साले मेहतर मादरचोद जान से मार देंगे। कुछ लोगों के आ जाने पर वे सभी लोग छोड़ कर भाग गये, जिसकी सूचना थाना मोहब्बतपुर पैइन्सा के थाना हाजा में दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

5. आवेदक/अभियुक्त का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा रंजिशन फॅसाया गया है। प्रार्थिनी के परिजनों व वादी मुकदमा की चुनावी रंजिश है, जिस कारण प्रार्थिनी का भविष्य को बर्बाद करने की नियत से प्रार्थिनी के वीरुद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व में सजायाफ्ता है। प्रार्थिनी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय मे लम्बित नही है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर बिना विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

8. अभियुक्त **शबनम बानों** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र के अधीन अंकन 20,000/–(बीस हजार) रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

क– अभियुक्त प्रकरण के किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

ख– अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

ग– अभियुक्त, आरोप व धारा–313 दं0प्र0सं0 के चरण पर व्यक्तिगत उपस्थित रहेगा।

घ– उपरोक्त शर्तो की अवहेलना किए जाने पर न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह अभियुक्त को दी गयी जमानत के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही संचालित करे।

विशेष न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा0(अ0नि0) अधिनियम
कौशाम्बी।

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.07.02 16:38:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court